बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कौटिल्य नगर, पटना–14.

रंजन कुमार सिन्हा
भा0प्र0से0(से0नि0)
स चि व

कार्यालय फोन : 2223727
मोबाईल नं0 : 9471006810

संचिका सं0– XXIII/EST-MISC-16/2017 पटना, दिनांक–.....2023

कार्यालय आदेश सं0–196/2023

कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 की धारा–4(1) के अनुसार "आंतरिक परिवाद समिति" का पुर्नगठन, कार्यालय आदेश सं0–193/2023 दिनांक–26.05.2023 से किया गया है।

उपर्युक्त अधिनियम के तहत समिति के अध्यक्ष श्रीमती शिखा को परिवाद, **online**, उनके ई–मेल आईडी0–**csecypolicenigam@bihar.gov.in** पर भी भेजा जा सकता है।

पुलिस महानिदेशक सह–अध्यक्ष–सह प्रबंध निदेशक के आदेश से,

ह0/–
सचिव।

ज्ञापांक.....1017/98..... पटना दिनांक – .....29/5/.....2023

प्रतिलिपिः– श्रीमती शिखा, कंपनी सचिव/श्रीमती रंजु कुमारी, प्रारूपक एवं श्रीमती अर्चना कुमारी, निम्नवर्गीय लिपिक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, योजना एवं मोनेटरिंग/अधीक्षण अभियन्ता, अंचल–1 एवं 2/मुख्य लेखा पदाधिकारी/कार्यपालक अभियन्ता, गुणनियंत्रण, बी0ओ0क्यू0, निरूपण, मोनेटरिंग/सभी कार्यपालक अभियन्ता, कार्य प्रमण्डल/ विधुत (परामर्शी)/वास्तुविद/कंपनी सचिव एवं पुलिस महानिदेशक अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के निजी सहायक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

3. निगम में कार्यरत सभी महिला कर्मचारी को सूचनार्थ प्रेषित।

4. श्री जितेन्द्र गिरि को उपर्युक्त आदेश निगम के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

5. सूचना पट्ट पर चिपकाने हेतु निर्गत शाखा को प्रेषित।

सचिव।